



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 996) पटना, सोमवार, 17 अगस्त 2026

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचना
10 अगस्त 2026

सं0-एल/एच०जी०-14-13/2026-9165—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा में जिला समादेष्टा में नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-9 (रु० 53,100-1,67,800/-) में (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ) औपबंधिक रूप से बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा में परीक्ष्यमान जिला समादेष्टा (पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष) के पद पर गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना में नियुक्त एवं मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना में पदस्थापित करते हुए सांस्थिक अभिमुखीकरण कार्यक्रम (Institutional Orientation Programme) हेतु अगले आदेश तक बिपार्ड, गया में प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	गृह जिला	मेधा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण कोटि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री अवि सांकृत्य	राँची, (झारखंड)	199	01	
2	श्री रोहित राज आनंद	पटना	224	01	
3	श्री पंकज श्योराण	भिवानी (हरियाणा)	233	01	
4	श्री रितेश राज	सारण	338	05	
5	श्री मनीष आनंद	पूर्वी चम्पारण	346	07	
6	श्री अमृत कुमार	सहरसा	350	05	
7	श्री अतुल कुमार	समस्तीपुर	650	04	
8	श्रीमती सादिया परवीन	पटना	769	01	
9	सुश्री विदिशा सिंह	पूर्णियाँ	825	01	

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	गृह जिला	मेधा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण कोटि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
10	सुश्री ज्योति कुमारी	सीतामढ़ी	1029	06	
11	श्री हरजीत प्रसाद	अरवल	1951	02	
12	श्री नील कमल	नालंदा	1975	02	

- (i) यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ-पत्र एवं चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में औपबंधिक रूप से की जा रही है। सत्यापन के क्रम में किसी भी स्तर पर प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने की स्थिति में नियुक्त होने वाले संबंधित अभ्यर्थी की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
- (ii) यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी की सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।
- (iii) जिन अभ्यर्थियों के द्वारा प्रमाण-पत्र सत्यापन कार्यक्रम के दौरान सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण-पत्र/अभिलेख (यथावर्णित कॉलम-6) समर्पित नहीं किया गया है, वे परीक्ष्यमान जिला समादेष्टा के पद पर योगदान/प्रभार ग्रहण करने के समय वांछित अभिलेख अपर महानिदेशक, बिपार्ड, गया के माध्यम से गृह विभाग(विशेष शाखा), बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (iv) सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 03 (तीन) वर्ष की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
- (v) योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसे बिपार्ड, गया के माध्यम से गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (vi) बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं०-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
- (vii) अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान देने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (viii) प्रत्येक अभ्यर्थी को उनकी अभिप्राणित फोटोयुक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति को मूल रूप में अपर महानिदेशक, बिपार्ड, गया के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ही सांस्थिक अभिमुखीकरण कार्यक्रम में उनका योगदान स्वीकृत किया जा सकेगा।
- (ix) पूर्व से नियोजित रहने की स्थिति में विरमन आदेश/त्यागपत्र स्वीकृति आदेश समर्पित नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (x) अभ्यर्थी योगदान/प्रभार ग्रहण के समय हाल का पासपोर्ट साईज का दो अदद फोटोग्राफ/मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र/तिलक-दहेज नहीं लेने-देने संबंधी घोषणा पत्र/चल-अचल संपत्ति विवरणी अनिवार्य रूप से अपर महानिदेशक, बिपार्ड, गया के माध्यम से गृह विभाग(विशेष शाखा), बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 996-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>